ओल्ड बॉयज एसोसिएशन

भूपाल नोबल्स संस्थान, उदयपुर (राज.)

Email : obabni@gmail.com
Website : http://bnoldboys.com

संविधान

प्रस्तावना

हम सभी भूतपूर्व विद्यार्थी इस सदन में विद्या प्रचारिणी सभा जो हमारी मातृ संस्था है के संरक्षण में संचालित सभी प्रवृत्तियों के उन्नयन तथा इन प्रवृत्तियों में भूतपूर्व विद्यार्थियों में बन्धुत्व की भावनाओं को विकसित करने हेतु दृढ़ संकल्प होकर आज दिनांक 24 फरवरी, 1976 को इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं (समय–समय पर साधारण सभा द्वारा लिए गए निर्णय / संशोधन के प्रावधान लागू होंगे):–

धारा 1 (नाम)

इस संघ का नाम ओल्ड बॉयज एसोसिएशन (भूतपूर्व छात्र संघ), भूपाल नोबल्स संस्थान होगा।

इस नाम में ओल्ड बॉयज से अभिप्राय सभी पूर्व विद्यार्थियों (छात्र–छात्राओं) से है।

धारा 2 (कार्य क्षेत्र)

इस संघ के कार्य क्षेत्र में विश्व के सभी भाग सम्मिलित किये जा सकेंगे, जहां–यहां के भूतपूर्व विद्यार्थी निवास करते हों। किन्तु प्रधान कार्यालय, विद्या प्रचारिणी सभा परिसर उदयपुर में ही होगा।

धारा 3 (उद्देश्य)

(क) भूतपूर्व विद्यार्थियों का संस्था से निरन्तर संबंध बनाये रखने के लिये प्रयत्नशील रहना।

(ख) भूतपूर्व एवं वर्तमान विद्यार्थियों में पारस्परिक स्नेह संवर्द्धन करना।

(ग) संस्था के उन्नयन में योगदान करना।

(घ) संस्था के संस्थापकों, अन्य समर्पित कार्यकर्ताओं एवं प्रतिभाशाली प्रतिभाओं का सम्मान करना।

(ड़) भूतपूर्व विद्यार्थियों को संगठित करना।

धारा 4 (प्रवृत्तियॉ)

(क) वार्षिक सम्मेलन करना। जिसकी निश्चित तिथि फाल्गुन कृष्णा दशमी रहेगी।

(ख) सम्पर्क की दृष्टि से जब–तब मिलन गोष्ठियॉ, प्रीतिभोज, प्रतियोगिताएं आदि आयोजित करना।

(ग) वर्तमान विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु सह शैक्षणिक प्रवृत्तियों का आयोजन करना।

(घ) संस्था में अध्ययनरत मेधावी विद्यार्थियों के लिये छात्रवृत्तियों का प्रबन्ध करना।

(ड़) विभिन्न राजकीय एवं अराजकीय सेवाओं हेतु सम्पादित प्रतियोगिताओं में सम्मिलित होने वाले भूतपूर्व एवं वर्तमान विद्यार्थियों के लाभार्थ कोचिंग कक्षाओं /प्रशिक्षण आदि की व्यवस्था करना तथा व्यावसायिक पाठ्यक्रम चलाना।

(च) वार्षिक पत्रिका "सेवा" का प्रकाशन करना।(संघ की गतिविधियों का विवरण, भूतपूर्व विद्यार्थियों की रचनाएं एवं उनकी व्यक्तिगत उपलब्धियों का लेखा–जोखा)

(छ) वर्तमान एवं भूतपूर्व विद्यार्थियों का नैतिक, वैचारिक व भावात्मक उन्नयन करना।

(ज) प्रतिभावान महानुभावों को आमन्त्रित करके उनके भाषणों का आयोजन करना।

(झ) अन्य कार्य जो संघ के उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक व लाभप्रद हो सम्पादित करना।

धारा 5 (अर्थ व्यवस्था)

एसोसिएशन अपने कार्य संचालन हेतु धन राशि दान, सहायता, सदस्यता शुल्क, भवन किराया व अन्य साधनों (चैरेटी शो, विज्ञापन आदि) द्वारा एकत्रित करेगा, जो निम्नांकित प्रकार से बैंक में रहेगी–

(क) स्थायी कोष–इसमें सरंक्षता और जीवन सदस्यता शुल्क से प्राप्त

रकम एवं अन्य कोई भी रकम जिसको एसोसिएशन उचित समझे रहेगी। यह राशि सदा स्थायी कोष में रहेगी। केवल इसका ब्याज ही प्रयोग में लाया जा सकेगा।

(ख) अस्थायी कोष –स्थायी कोष के अतिरिक्त एसोसिएशन की सभी आय तथा स्थायी कोष का व्याज इस खाते में जमा कराया जायेगा। इस रकम का उपयोग कार्यकारिणी एसोसिएशन के हित/छात्रवृत्ति आदि में कर सकेगी।

(ग) बैंक से रकम एसोसिएशन के अध्यक्ष, मंत्री एवं वित्त मंत्री में से किन्हीं दो के हस्ताक्षरों द्वारा निकाली जा सकेगी।

धारा 6 (संगठन)

एसोसिएशन के दो अंग होंगे–जो अपने–अपने अधिकार क्षेत्र में काम करेंगे।

(क) साधारण सभा (ख) कार्य समिति

साधारण सभा की सदस्यता

(1) विद्या प्रचारिणी सभा के संरक्षण में संचालित किसी भी प्रवृत्ति में कम से कम एक सत्र तक नियमित विद्यार्थी की हैसियत से अध्ययनरत रहकर परीक्षा दी हो व जो इन प्रवृत्तियों को छोड चुके होंगे, एसोसिएशन के सदस्य हो सकेंगे।

(2) एसोसिएशन की आजीवन सदस्यता के लिए 1000/– रुपये (अक्षरे एक हजार रुपये मात्र) शुल्क होगा।

(3) वही व्यक्ति ओल्ड बॉयज एसोसिएशन का सदस्य हो सकेगा–

– जिसने 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो।

– जिसने अपना अध्ययन समाप्त करके जीवन यापन में प्रवेश कर लिया हो।

– आवेदक को अपना सदस्यता फार्म जीवन सदस्य द्वारा अग्रेषित करवाना होगा।

– कार्यसमिति की अनुशंसा पर आम सभा द्वारा अनुमोदित होने पर ही वह ओल्ड बॉयज एसोसिएशन का सदस्य हो सकेगा।

– विद्या प्रचारिणी सभा के संरक्षण में संचालित किसी भी प्रवृत्ति में कार्यरत कर्मचारी ओल्ड बॉयज एसोसिएशन का सदस्य तो रह सकेगा परन्तु चुनाव एवं मतदान प्रक्रिया में भाग नही ले सकेगा और न ही संघ के किसी पद हेतु प्रत्याशी बन सकेगा।

साधारण सभा के कर्त्तव्य

(1) एसोसिएशन का प्रत्येक सदस्य साधारण सभा का सदस्य माना जावेगा।

(2) प्रत्येक सदस्य साधारण सभा में समान रुप से अपने विचारों की, व्यवस्थानुसार अभिव्यक्ति हेतु स्वतन्त्र रहेगा।

(3) वर्ष में साधारण सभा का एक वार्षिक अधिवेशन होगा।

(4) यदि अध्यक्ष आवश्यक समझें, तो साधारण सभा की विशेष बैठक भी आमन्त्रित कर सकेंगे।

(5) एसोसिएशन के एक चौथाई सदस्यों के लिखित आवेदन पर भी अध्यक्ष को एक माह के अन्दर बैठक बुलाना आवश्यक होगा। ऐसे आवेदन में कारण स्पष्ट होने चाहिये। अध्यक्ष द्वारा ऐसी बैठक नहीं बुलाने पर आवेदनकर्ताओं द्वारा कम से कम दस प्रतिशत सदस्यों के हस्ताक्षरों से बैठक आमन्त्रित की जा सकेगी।

(6) साधारण सभा की बैठक की सूचना प्रत्येक सदस्य के पास पन्द्रह दिन पूर्व भेजी जाएगी।

(7) यदि किसी सदस्य को प्रस्ताव रखना हो तो उसको अध्यक्ष के पास बैठक से सात दिन पूर्व पहुंचाना होगा, किन्तु अति आवश्यक प्रस्ताव अध्यक्ष की अनुमति से उसी समय में भी रखा जा सकेगा। इसी तरह विधान में प्रस्तावित परिवर्तन अधिवेशन से दो माह पूर्व कार्यसमिति के पास पहुंच जाना चाहिये। विधान में दो तिहाई बहुमत से संशोधन किए जा सकेंगे।

(8) एसोसिएशन का नया सत्र फाल्गुन कृष्णा दशमी से प्रारम्भ होगा।

कार्यसमिति

कार्य समिति में सात पदाधिकारी व छः सदस्य होंगे, जिनका कार्यकाल तीन वर्ष का होगा। सात पदाधिकारियों में वित्त मंत्री को छोड़कर अन्य छः पदाधिकारी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मंत्री, संयुक्त मंत्री, साहित्य मंत्री एवं खेल मंत्री तथा छः कार्य समिति सदस्य होंगे। अध्यक्ष पद पर वही व्यक्ति चुनाव लडने योग्य होगा जिसने चुनाव के दिन साठ वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो। कार्यसमिति के छः सदस्यों में से दो पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे।

इस प्रकार कार्य समिति में तेरह सदस्य होंगे। इसी के साथ विद्या प्रचारिणी सभा के विद्यान के अध्याय 1 की धारा (घ) बिन्दु 'आ' के अनुसार सदन द्वारा 8 सदस्यों को विद्या प्रचारिणी सभा में एसोसिएशन का प्रतिनिधित्व करने हेतु चुना जाएगा। यह 8 सदस्य विद्या प्रचारिणी सभा की आम सभा के आगामी 3 वर्ष तक साधारण सदस्य रहेंगे। इनमें से चार सदस्यों का चुनाव विद्या प्रचारिणी सभा की कार्यकारिणी के लिए विद्या प्रचारिणी सभा द्वारा किया जायेगा।

कार्यसमिति आगामी तीन वर्षो के लिए कार्यकारिणी के चुनाव हेतु एक तटस्थ निर्वाचन अधिकारी को नियुक्त करेगी।

अधिकार एवं कर्त्तव्यः (पदाधिकारियों के)

अध्यक्ष

(1) वह साधारण सभा व कार्यकारिणी का अध्यक्ष होगा।

(2) वह एसोसिएशन के प्रति उत्तरदायी होगा।

(3) वह एसोसिएशन के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए किसी भी समय उपसमितियों का गठन या विसर्जन कर सकेगा।

उपाध्यक्ष

अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष को अध्यक्ष के सर्वाधिकार होंगे। साथ ही अध्यक्ष का सहायक कार्य भी करेंगे।

मंत्री

(1) कार्यसमिति की बैठकें बुलाना।

(2) एसोसिएशन के कार्यालय के प्रभारी की हैसियत से कार्य करना।

(3) एसोसिएशन के समस्त चालू कार्य सम्भालना तथा बजट के अनुसार कार्य संचालन करना।

(4) साधारण सभा व कार्यसमिति की बैठकों का संयोजन करना।

(5) कार्य समिति द्वारा लिए गए निर्णयों की क्रियान्विती करना एवं सम्पूर्ण कार्य एवं गतिविधियों, निर्णयो का व्यवस्थित लेखा जोखा (Record) रखना।

संयुक्त मंत्री

मंत्री की अनुपस्थिति में संयुक्त मंत्री को सर्वाधिकार होंगे। साथ ही मंत्री के सहायक का कार्य भी करेंगे।

वित्त मंत्री

(विद्या प्रचारिणी सभा के उपमंत्री पदेन वित्त मंत्री होंगे):

(1) एसोसिएशन की वित्तीय स्थिति का नियन्त्रण करना।

(2) आवश्यकता पडने पर रकम बैंक से निकालना।

(3) वार्षिक अधिवेशन एवं कार्यकारिणी में आय–व्यय विवरण प्रस्तुत करना।

खेल मंत्री

(1) सम्पर्क की दृष्टि से एसोसिएशन की टीमों का चयन करना तथा इन्हें विभिन्न प्रतियोगिताओं में सम्मिलित करवाना।

(2) जब–तब प्रतियोगिताओं का आयोजन करना।

(3) वर्ष में एक बार भूतपूर्व एवं वर्तमान विद्यार्थियों के मध्य प्रमुख खेलों की प्रतियोगिताओं का आयोजन करना।

साहित्य मंत्री

(1) वर्तमान छात्रों के विकासार्थ विभिन्न साहित्यिक प्रवृत्तियों एवं प्रतियोगिताओं का आयोजन करना।

(2) यथा सम्भव भूतपूर्व विद्यार्थियों की साहित्यिक कृतियों को छपवाने का प्रबंध करवाना।

(3) वर्तमान एवं भूतवूर्व विद्यार्थियों के हित में विस्तार व्याख्यान आयोजित करना।

कोरम

समिति का कोरम पदाधिकारियों सहित पांच सदस्यों का होगा। कोरम न होने की स्थिति में समिति की बैठक को स्थगित करने के अतिरिक्त कोई कार्य नहीं किया जायेगा। समिति की स्थगित की हुई बैठक में कोरम की आवश्यकता नहीं होगी। समिति का सारा कार्य बहुमत से किया जावेगा। किसी विषय पर यदि सदस्यो के मत बराबर होंगे तो कार्यकारिणी के अध्यक्ष को निर्णायक मत देने का अधिकार होगा। साधारण सभा तथा कार्य समिति आवश्यकतानुसार मिलेगी। समिति की ऐसी बैठकों की सूचना निर्धारित तिथि से कम से कम दो दिन पहले दी जानी चाहिये, किन्तु असाधारण बैठक चौबीस घण्टे की पूर्व सूचना पर भी बुलायी जा सकती है।

यह कार्य समिति ओल्ड बॉयज एसोसिएशन भूपाल नोबल्स संस्थान की कार्यसमिति होगी और यों एसोसिएशन के सभी अधिकारों का उपयोग करेगी।

धारा 7 (निर्वाचन)

ओल्ड बॉयज एसोसिएशन, भूपाल नोबल्स संस्थान का कार्यकाल तीन वर्षो का होगा। प्रत्येक 3 वर्षो के पश्चात् ओल्ड बॉयज एसोसिएशन भूपाल नोबल्स संस्थान की कार्यकारिणी एवं विद्या प्रचारिणी सभा हेतु 8 सदस्यों का निर्वाचन एक तटस्थ निर्वाचन अधिकारी द्वारा इस संविधान के आधार पर प्रत्यक्ष गुप्त मतदान प्रणाली द्वारा सम्पन्न कराया जाएगा। एसोसिएशन का कोई भी सदस्य एकाधिक पद हेतु प्रत्याशी नहीं हो सकेगा। किसी एक या अधिक पदों पर बराबर मत होने पर निर्वाचन अधिकारी द्वारा एक बार सिक्का उछाल कर (Spin of the coin) निर्णय किया जाएगा।

निर्वाचन अधिकारी का सम्पूर्ण निर्वाचन प्रणाली पर नियन्त्रण रहेगा। निर्वाचन अधिकारी का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।

इस संविधान में आम सभा द्वारा समय–समय पर किए गए सभी संशोधन सम्मिलित कर लिए गए हैं।

अध्यक्ष **मंत्री**